

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दि/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
6/19	136 L.R.A.C.T	बारां 2021	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शंकर लाल	बनाम	दीश बाल	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
4/2/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 L.R.A.C.T विरुद्ध अभिधी गण के इस न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया, प्रकरण दर्ज सविस्तर किया जावे तथा अभिधी गणों को परिचय समान तलक कर पत्रावली दिनांक 11/3/019 को पेश हो।	
11/3/19	आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिधति में दिनांक 09/4/019 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
9/4/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरी प्रतिवादी क्र. 1 व 2 का वपूद सूचना के अनुषंगित 1 उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही भी जाती है तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/5/019 को पेश हो।	
01/5/019	पत्रावली पेश हुई। वहुलाए करीकेन उपरी तहसील से रिपोर्ट आसारत। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 27/5/019 को पेश हो।	
27/5/019	पत्रावली पेश हुई। वहुलाए करीकेन उपरिगत 1 तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/7/019 को पेश हो।	

10/

प्रशासन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13.7.21 को पेश हो।

श्री. एस. शर्मा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

13/7/21

प्रशासन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13.7.21 को पेश हो।

श्री. एस. शर्मा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18/8/21

COVID-19 के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में आज पेश हुई। बहुलाए परीकेस उपस्थित। तहसीलदार से जनक रिपोर्ट प्राप्त। पुनः लिखा जाके वारंटे रिपोर्ट। जनक पत्रावली दिनांक 14.10.21 पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

11/10/21

पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 शिकर वारंटे पर आज पेश हुई। तहसीलदार इकडा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार इकडा द्वारा अपन रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खारखरा तहसील इकडा के खेत 183 में शेमलाल पुत्र मन्नालाल हि० 1/2 जाति धाकड-श्री. देव दर्ज है जबकि प्राथी के पिता का नाम मन्नालाल है जिसकी पुष्टि ग्राम खारखरा के मजारे-माल में उपस्थित ब्यापारियों से पूछा जाकर माले पर भी गई। प्राथी शेमलाल पुत्र मन्नालाल के स्थान पर शेमलाल पुत्र मन्नालाल दर्ज किया जाना उचित है परन्तु ग्लर रिपोर्ट अनुसार दिनांक 14.10.2019 को जयें शुद्धिपत्र से दुस्ती कर दी गई है।

भुवनेश्वर तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अल्प कोई कार्य अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण में कोई कार्य बाकी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में कार्य बाकी इसी स्तर पर झोंप की जाती है। पत्रावली दिनांक 14.10.21 शिकर वारंटे पर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारा (राज०)